छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11 /06/2014

क्रमांक/2617/डी–15/116/पार्ट–2/14–2 :: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–87/2012/ग्यारह/(6), दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा जारी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के खण्ड 9.4 के अधीन मण्डी शुल्क में दी गई छूट के अध्याधीन, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मण्डियों से प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए क्रय की गई कृषि उपज पर दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से 31 अक्टूबर, 2017 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहित मण्डी शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है।

यतः यह छूट, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2615/डी–15/116/पार्ट–2/2004/14–2 दिनांक 11.06.2014 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 के अध्याधीन लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11.6.12
(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृष्ठां. क्र./2618/डी–15/116/पार्ट–2/14–2

रायपुर, दिनांक 11 /06/2014

1. सचिव, माननीय, मुख्यमंत्री छ.ग. शासन, रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछीपालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
4. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।
5. स्टाफ ऑफिसर, सचिव छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग।
6. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग।
7. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर।
8. कलेक्टर, जिला .... (सर्व)।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड रायपुर।
10. संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (आंचलिक कार्यालय), रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
11. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव को भेजकर अनुरोध है कि कृपया छत्तीसगढ़ राजपत्र के साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

11.6.14
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11/06/2014

क्रमांक/2615/डी–15/116/पार्ट–2/2004/14–2 :: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप–धारा (2) के खण्ड (पांच) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 कहलायेंगे ।
(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अति वृहद परियोजनाएं (अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिसने रूपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग, मंत्रालय, यथास्थिति, आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशयपत्र धारित करता हो एवं राज्य सरकार के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 निष्पादित किया हो और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(ख) "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" से अभिप्रेत है उपाबंध–एक में दर्शित उद्योंगों को छोड़कर, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में आने वाले समस्त उद्योग;

(ग) "जल आपूर्ति निवेश" से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक उपक्रम के परिसर में जल आपूर्ति पर किया गया निवेश किन्तु शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो तथा इस मद में की गई भुगतान की राशि में, प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेंगी;

(घ) "नवीन औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है ऐसी उद्यौगिक इकाई, जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में दिनांक 01.11.2012 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.एम. पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र धारित करती हो, रूपये 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया गया हो एवं प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रूपये 100 लाख का निवेश किया गया हो;

(ड.) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है दिनांक 01 नवंबर 2012;

(च) "मध्यम उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक किंतु रू. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक उपक्रम के पास सक्षम अधिकारी से, यथास्थिति, ई0एम0 पार्ट-1/आई0ई0एम0 प्राप्त किया हो तथा उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(छ) "वृहत परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट्स)" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, यथास्थिति, आई.ई. एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(ज) "लघु उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई लघु उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रू 100 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो;

(झ) "प्लांट एवं मशीनरी" से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में स्थापित मुख्य प्लांट एवं मशीनरी,

टीप – इस मद में प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश से संबंधित व्यय सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(ञ) "पंजीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा संबंधित मण्डी समिति के अधीन पंजीकृत व्यवसायी;

(ट) "भूमि मूल्य" से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के मूल्य तथा इसमें सम्मिलित है भूमि का वास्तविक कय मूल्य या सक्षम अधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भू आबंटन किये जाने पर निर्धारित भू-प्रब्याजि (यथास्थिति जो लागू हो) तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि;

(ठ) "वैध दस्तावेज" से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित है वैध लघु उद्योग पंजीयन/ई. एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र/एम0ओ0यू से संबंधित दस्तावेज की वैधता अवधि में उद्योग के पास भूमि का वैद्य आधिपत्य हो या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंको या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति या ऋण की सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई हो;

(ड)" विद्यमान औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, यथास्थिति, स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाणपत्र/ ई.एम. पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र धारित करती हो और रू. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश उद्योग के विस्तार करने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो तथा विस्तार के विस्तार के अधीन प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रू 100 लाख का स्थायी पूंजी निवेश किया हो;

(ढ) "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद उद्योगों/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के नियत दिनांक के पश्चात उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम मान्य रू. 100 लाख का अतिरिक्त पूंजी निवेश करते हुए पंजीकृत मूल क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई;

(ण) "वृहद उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रू. 10 करोड़ से अधिक किंतु रू. 100 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेशित हो एवं इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक उपक्रम सक्षम अधिकारी से, यथास्थिति, आई0ई0एम0/आशयपत्र/औद्योगिक लाईसेन्स धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(त) "स्थायी पूंजी निवेश" से अभिप्रेत है किसी नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक भूमि, फैक्ट्री, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किया गया निवेश,

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

(एक) लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा, प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणो में (नवीन एवं विस्तार उद्योगों के प्रकरणों में) उद्योग स्थापना परिसर में ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/ आशयपत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश ही मान्य किया जावेगा,

(दो) विद्यमान उद्योग के "विस्तारीकरण" हेतु किये गये स्थायी पूंजी निवेश की गणना विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को लिखित पूर्व सूचना एवं इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के दिनांक से विस्तारीकरण की योजना के पूर्ण होने एवं तदनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में उपर्युक्त कार्यकलापों

में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश ही मान्य होगा;

(थ) "शेड–भवन" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम;

(द) "विद्यूत आवूर्ति निवेश" से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं/या निजी कम्पनियों को भुगतान की गयी राशि;

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा।

(3) उद्योग परिसर में किये गये विद्युत स्थापना संबंधी व्ययों को ही मान्य किया जायेगा।

(ध) "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से अभिप्रेत है –

(एक) लघु उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारंभ किये गये संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो;

(ख) मध्यम उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपकम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वसणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो;

(ग) वृहद उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपकम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 150 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो;

(घ) मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थायी पूजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 180 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो;

(ड.) रू. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

3. **पात्रता .–** (1) कृषि एवं खाद्य उद्योग नीति 2012 की कालावधि दिनांक 01.11.2012 से 31.10.2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो की श्रेणी में आने वाले (उपाबंध–एक में दर्शाये गये उद्योगो को छोड़कर) समस्त नवीन एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर छूट प्राप्त होगी।

(2) मंडी शुल्क से छूट राज्य की मंडियों से हो उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) प्राप्त करने पर प्राप्त होगी।

(3) परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों का पालन करना अनिवार्य है।

(4) उद्योग में संयंत्र एवं मशीनरी मद में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 1.00 करोड़ करना होगा।

(5) उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./ई.एम. पार्ट–1 जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर करना होगा।

(6) रूपये 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू करना अनिवार्य होगा।

(7) उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

(8) इस योजना के अधीन पात्रता हेतु औद्योगिक इकाईयों का कृषि उपज मंडी समितियों से वैध पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है।

(9) औद्योगिक इकाईयों द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों से/समितियों के माध्यम से उनके उद्योग में लगने वाले कच्चे माल (अधिसूचित कृषि उपज) के क्रय एवं उसका उपयोग उत्पादन में करने पर ही छूट की पात्रता होगी।

(10) मंडी शुल्क छूट का आवेदन, औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो भी पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्णरूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(11) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक उद्योग उत्पादनरत रहे/कार्यरत रहें।

(12) मंडी शुल्क से छूट की पात्रता हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग 1 नवंबर 2012 से 21 अक्टूबर 2017 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दे।

(13) जिन उद्योगों ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के खण्ड 9.4 अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु आवेदन दिया है उन्हें औद्योगिक नीति 2009–14 के अधिसूचना क्रमांक एफ–20–112–2009–11(6) दिनांक 21.06.2011 में अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009 के अधीन मंडी शुल्क छूट प्रतिपूर्ति अनुदान की प्राप्ति नहीं होगी।

4. **मंडी शुल्क से छूट की मात्रा.–** कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले इकाईयों को राज्य की मंडियों से उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) क्रय करने के प्रथम दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। छूट की अधिकतम सीमा औद्योगिक इकाई द्वारा किये गये मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

5. **प्रक्रिया एवं अधिकार** .– (1) औद्योगिक इकाईयों को उपाबंध–दो के अनुसार निर्धारित आवेदनपत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं संभागीय संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड के कार्यालय में आवेदन करना होगा, जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध 8 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जायेगी:–

(एक) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0 ।

(दो) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्द्राज।

(तीन) उपाबंध–दो में निर्धारित प्रारूप पर मंडी शुल्क के भुगतान से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का प्रमाणपत्र एवं सूची।

(चार) कृषि उपज मंडी समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र।

(पांच) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) की प्रति (यदि लागू हो तो) ।

(छः) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का उपाबंध–चार पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति) ।

(सात) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूब्ड वेल्यूवर का उपाबंध–पांच पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाणपत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगो से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)।

(आठ) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति) उपाबंध–छः के अनुसार ।

(नौ) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

(दस) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाणपत्र ।

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा ।

(बारह) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति।

(तेरह) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।

(चौदह) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम, 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो) ।

(पन्द्रह) स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव प्रति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) ।

(सोलह) उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु जारी अनुमति।

(सत्रह) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी0जी0 सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाणपत्र ।

(अठारह) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाणपत्र ।

(उन्नीस) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के अधीन बायलर स्थापित करने हेतु सम्मति/अनुज्ञा

(बीस) भू–स्वामित्व/पट्टे से संबंधित दस्तावेज।

(इक्कीस) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाणपत्र ।

(2) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड को आवेदनपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उपाबंध–तीन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम प्रबंधक/सहायक प्रबंधक/मण्डी सचिव स्तर के अधिकारियों से करा कर अपने अभिमत के साथ मंडी शुल्क छूट का निर्धारण कर लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जावेगा तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अभिमत/अनुशंसा के साथ उद्योग संचालनालय को प्रेषित किये जायेगें। ऐसे प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

(3) राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जायेगी।

(4) स्थायी पूंजी निवेश करने की निर्धारित समयावधि अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संगणित की जायेगी।

(5) जिला/राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर, यथास्थिति, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रंधक द्वारा स्वीकृति आदेश उपाबंध–आठ में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा, जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन स्वंय के व्यय पर कराना होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में मंडी शुल्क छूट स्वीकृत की जाती है तो कंपनी संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जायेगी। विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/मण्डी सचिव संबंधित मण्डी द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो राज्य/जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण निरस्तीकरण आदेश से सहमत होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 60 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

समिति के निर्णय हेतु, यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी, सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा। सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत टीप एवं अभिमत/अनुशंसा को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

(6) समिति का स्वरूपः–

(एक) जिला स्तरीय समिति :–

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	उप संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य
(3)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सदस्य
(4)	संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड	सदस्य
(5)	मण्डी सचिव संबंधित मण्डी	सदस्य
(6)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

समिति का कोरम 4 होगा एवं उपरोक्त सरल क्रमांक 4 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(दो) राज्य स्तरीय समिति :–

(1)	कृषि आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी	सदस्य
(3)	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(4)	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड	सदस्य
(5)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

समिति का कोरम 3 होगा ।

(तीन) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :–

(1)योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना/परीक्षण की कार्यवाही करना/वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना।

(2)योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक 3 माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेण्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना एवं सदस्यों को प्रेषित करना।

(3)योजना से संबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना एवं स्वत्वों के भुगतान के संबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना।

(4)जिला स्तरीय समिति की बैठकों/निर्णयों की जानकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में अग्रेषित करना।

(चार) राज्य स्तरीय समिति के अधिकारः– (1) राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से, संदर्भित किये जाने पर अपने स्वंय के विनिश्चय में परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त होगी ।

(2) राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर जिला स्तर पर समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की शक्तियां एवं तदनुसार जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होगी।

(3) राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश जिला स्तरीय समिति के लिये बाध्यकारी होगें।

(4) राज्य स्तरीय समिति को आवेदन देने में हुए विलंब को गुण–दोष के आधार पर विचार करते हुए शिथिल करने के अधिकार होंगे।

(5) यदि पंजीकृत व्यवसायी ने निर्धारित अवधि में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश (प्लांट एवं मशीनरी) नहीं किया है तो समिति को यह अधिकार होगा कि व्यवसायी द्वारा निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापना हेतु उठाये गये प्रभावी कदमों की गुण–दोष के आधार पर समीक्षा कर पात्रता पर निर्णय करें।

(6) राज्य स्तरीय समिति उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग औद्योगिक इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करेगी।

6. **अपील एवं वाद.–** (1) लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा। द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

(2) अपील शुल्क का भुगतान "निर्धारित हेड" के अंतर्गत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व/अपील निरस्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं जमा किया जायेगा।

(3) कोई भी अपील, आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करना होगा।

(चार) इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

7. **मंडी शुल्क से छूट की वसूली .–** निम्नलिखित परिस्थितियों में मंडी शुल्क से छूट की राशि भू राजस्व के बकाया के रुप में वसूली योग्य होगी, अर्थात् :–

(1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं इस प्रकार गलत तरीके से छूट प्रमाणपत्र स्वीकृत हुआ है;

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है एवं इस कारण अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त नियम 3 के उप–नियम (7) में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है;

(3) शासन/उद्योग संचालनालय/संबंधित मण्डी समिति द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये;

(4) प्रति वर्ष उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार/ संबंधित मण्डी समिति एवं उद्योग केन्द्र को न दिया जाये;

(5) यदि किसी न्यायालय द्वारा उद्योग को बंद करने का आदेश पारित किया गया हो;

(6) यथास्थिति, निरस्तीकरण की वसूली के आदेश, जिला/राज्य स्तरीय समिति की ओर से क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली;

(7) कृषक विकेता से कय कृषि उपज की कीमत का भुगतान मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं करने पर;

(8) मण्डी अधिनियम के अधीन कोई निर्रहता होने पर।

8. **छूट प्रमाणपत्र प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व** .– (1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने छूट प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/संबंधित मण्डी समिति को छूट प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर देनी होगी।

(2) औद्योगिक इकाई को छूट की अवधि समाप्त होने के उपरांत न्यूनतम पांच वर्ष तक उद्योग चालू रखना होगा।

(3) छूट की स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/संबंधित मण्डी समिति की पूर्वानुमति के बिना इकाई के उद्योग स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । उद्योग का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा और उद्योग के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(4) छूट स्वीकृति के उपरांत भी अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का नियम 3 के उप–नियम (7) में उल्लेखित प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा।

9. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/संबंधित मण्डी समिति सक्षम होंगे। छूट से संबंधित किसी विशय पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों/संबंधित मण्डी समिति द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

10. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी, राज्य शासन/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ भाासन द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11.6.12

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृष्ठां. क. /2616/डी–15/116/पार्ट–2/14–2 रायपुर, दिनांक 11/06/2014

1. सचिव, माननीय, मुख्यमंत्री छ.ग. शासन, रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछीपालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
4. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।
5. स्टाफ ऑफिसर, सचिव छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग।
6. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग।
7. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर।
8. कलेक्टर, जिला .... (सर्व)।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड रायपुर।
10. संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (आंचलिक कार्यालय), रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
11. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव को भेजकर अनुरोध है कि कृपया छत्तीसगढ़ राजपत्र के साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

11.6.14

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

उपाबंध–एक
(कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का परिशिष्ट–एक)

अपात्र उद्योगों की सूची

1 राईस मिल

2 पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग

3 पोहा एवं मुरमुरा

4 हालर मिल

5 पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना

6 मिनरल वाटर

7 सभी प्रकार के साफट ड्रिंक्स,

8 एल्कोहल ड्रिंक्स

9 भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम

10 राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

11 खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई) (रिफाइनरी)

12 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएं।

उपाबंध–दा

(नियम 3 एवं 4 देखिए)

छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क छूट नियम 2012 'के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट का

आवेदन प्रारूप

1 औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता

2 औद्योगिक इकाई का संगठन

3 औद्योगिक इकाई का प्रकार – सूक्ष्म एवं लघु/मध्यम/वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

5 औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन/विस्तार

6 औद्योगिक इकाई का उद्योग स्थल

(क) स्थान

(ख) विकास

(ग) जिला

7 पंजीयन

(1) लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0

(2) ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र

(3) मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन

(4) पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति (यदि लागू हो)

(क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)

(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)

(ग) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)

(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)

(ङ.) भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

(5) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन

(6) भूमि व्यपवर्तन/निर्धारण आदेश

(7) स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र/ प्रस्ताव

(8) मण्डी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन

8 कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

9 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

10 उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

11 प्रयुक्त कच्चे माल एवं अनुमानित वार्षिक मात्रा

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

11 योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)–

क्र0		राशि
(1)	भूमि – (भूमि का रकबा ....)	
	(क) वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/	
	(ख) मुद्रांक शुल्क	
	(ग) पंजीयन शुल्क	
	योग–	
(2)	शेड–भवन –	
	1 फैक्ट्री भवन	
	2 शेड	
	3 प्रयोगशाला भवन	
	4 अनुसंधान भवन	
	5 प्रशासकीय भवन	
	6 केन्टीन	
	7 श्रमिक विश्राम कक्ष	
	8 वाहन स्टैण्ड	
	9 सिक्यूरिटी पोस्ट	
	10 माल गोदाम	
	योग–	
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) –	
	1 प्लांट एवं मशीनरी, न्यूनतम 100 लाख रू का पूंजी निवेश आवश्यक है।	
	2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण	
	3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण	
	4 परीक्षण उपकरण	
	5 स्थापना संबंधी व्यय	
	योग–	
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश–	
	(क) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	(ख) केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
	योग–	
(5)	जल आपूर्ति निवेश –	
	औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	योग–	
	महायोग–	

12 योजना– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

(1) स्वयं के स्त्रोत

(2) अंश पूंजी

(3) ऋण

(क) वित्तीय संस्थाओं से ऋण

(ख) बैंको से ऋण

(4) योग

13 रोजगार–

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अकुशल वर्ग क.............. ख.............. ग..............				
कुशल वर्ग क.............. ख.............. ग..............				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग क.............. ख.............. ग..............				
योग				

14 विद्युत भार–

15 औद्योगिक इकाई के स्वामित्व– नियंत्रणधीन अन्य अद्योगों का विवरण–

(1) नाम व पता

(2) कारखाना

(क) ग्राम/नगर

(ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण

16 आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण

17 संलग्न दस्तावेजों की सूची

टीप– उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें।

स्थान –

दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

//शपथ पत्र//

1 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2 छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क छूट नियम 2012 के प्रावधानों का पूर्ण पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा।

3 यह भी शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा।

4 औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है।

5 उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा छूट प्रमाणपत्र में दी गई छूट के समतुल्य राशि 60 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

स्थान –
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध–तीन
(नियम 5(2) देखिए)
मंडी शुल्क छूट हेतु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण/सत्यापन दिनांक..................

1 औद्योगिक इकाई का नाम व पता–

2 उद्योग का संगठन–

3 औद्योगिक इकाई का प्रकार– सूक्ष्म एवं लघु/मध्यम/वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

4 औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन/विस्तार

5 औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

(क) स्थान
(ख) विकास खण्ड
(ग) जिला

6 पंजीयन

(1) लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0

(2) ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र

(3) प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन

(4) केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन

(5) पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति (यदि लागू हो)

(क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)
(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)
(ग) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)
(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)
(ङ.) भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

(6) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
(7) भूमि व्यपवर्तन आदेश (यदि लागू हो)
(8) स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
(9) मण्डी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन

7 कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

8 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

9 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

10 सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क्र0	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ....तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रुपयों में
(1)	भूमि – (क) भूमि का रकबा (ख) वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/ (ग) मुद्रांक शुल्क (घ) पंजीयन शुल्क योग–		
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैण्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग–		
(3)	प्लांट एवं मशीनरी – न्यूनतम 100 लाख रु का पूंजी निवेश आवश्यक है। 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण 4 परीक्षण उपकरण 5 स्थापना संबंधी व्यय योग–		
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश– (क) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) (ख) केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग–		
(5)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) योग–		
	महायोग–		

11 रोजगार–

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ0 इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0 इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अकुशल वर्ग क............. ख............. ग............. योग					
2	कुशल वर्ग क............. ख............. ग............. योग					
3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग क............. ख............. ग............. योग					
	महायोग					

12 सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति

(1) भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)

(2) भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)

(3) विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

(4) जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

13 विद्युत भार–

14 औद्योगिक इकाई के अन्य इकाईयों को दिये अनुदान / छूट एवं रियायतों पर टीप (यदि लागू हो)–

(1) नाम व पता

(2) कारखाना स्थल

(क) ग्राम / नगर

(ख) तहसील

(ग) जिला

15 टीप / अभिमत / अनुशंसा –

(1) भौतिक स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के समय गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल, पार्क एवं भूमि विकास पर किये गये निवेश के संबंध में।

(2) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची का सत्यापन इकाई की लेखा पुस्तकों से किये जाने बाबत्।

(3) विलंबित आवेदनों पर इकाई द्वारा बताये गये विलंब के करणों पर अभिमत।

(4) भारत सरकार/राज्य शासन या इसके किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/आयोग/मंडल वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान/प्राप्त न करने बाबत् टीप

(5) स्थायी पूंजी निवेश को अमान्य करने के कारण (मदवार राशिवार)।

(6) विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण।

(7) स्पष्ट अनुशंसा।

(8) स्थायी पूंजी निवेश की सूची का लेखा पुस्तकों से सत्यापन किये जाने के संबंध में टीप।

(9) अन्य बिंदु जो क्लेम प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक समझे जावें ।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)
नाम
पद
कार्यालय

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा/अभिमत एवं टीप पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की अनुशंसा/संयुक्त संचालक स्थानिय कार्यालय/संबंधित मण्डी समिति का अभिमत।

उपाबंध–चार
(नियम 5(6) देखिए)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1 औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ....है एवं उद्योग ....में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट–1 क्र0..एवं ई0एम0 पार्ट–2 / आई.ई.एम. क्रमांक ....एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ....दिनांक ....है व जिसके अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .... है, में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रुपये ....(अक्षरों में)... है, का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क्र0	विवरण	निवेशित राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	भूमि – (क) भूमि का रकबा (ख) वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम / (ग) मुद्रांक शुल्क (घ) पंजीयन शुल्क योग–		
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैण्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग–		
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) 1 प्लांट एवं मशीनरी, न्यूनतम 100 लाख रु का पूंजी निवेश आवश्यक है। 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय योग–		

(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश– (क) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) (ख) केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग–		
(5)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) योग–		
	महायोग–		

स्थान –

दिनांक –

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

उपाबंध–पांच

(नियम 5(7) देखिये)

(चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रुव्ड वेल्यूवर का प्रमाणपत्र)

(लेटर हैड पर)

1 औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ....है एवं उद्योग ....में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट–1 क्र0.. ई0एम0 पार्ट–2 क्रमांक /आई.ई.एम. .... /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ....दिनांक ....है ने दिनांक ....तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये ....(अक्षरों में)................. है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क्र0	विवरण	मात्रा/साईज	दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैण्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग			
(2)	अन्य सामाजिक/अधोसंरचना पर किया गया व्यय – गेस्ट हाउस, पूजा घर, मेदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल			
(3)	भूमि विकास (भूमि विकास (भूमि का समतलीकरण, ड्रेनेज निर्माण व अन्य)			
	योग–			

स्थान : चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रुव्ड वेल्यूवर का नाम व पता

दिनांक: सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

दि.यक्षा शाखा

उपाबंध–सात

(नियम 7 एवं 8 देखिए)

मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र

(छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्र.......................के अंतर्गत)

(1) छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक .... द्वारा, अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क छूट नियम 2012 के नियम क्रमांक "6.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र जारी किया जाता है –

(2) (क) औद्योगिक इकाई का नाम व पता

(ख) उद्योग का स्वरूप
(नवीन/विस्तार)

(ग) उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

(घ) प्रयुक्त कच्चे माल –

(एक) ....

(दो) . ...

(तीन) ....

(ङ.) वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

(च) कच्चा माल क्रय करने का प्रथम दिनांक –

(छ) औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान,विकास खंड व जिला)

(ज) अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश–

(झ) मंडी शुल्क से छूट की मात्रा –

(3) यह छूट प्रमाण पत्र दिनांक .... से .... तक वैध है।

(4) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त खण्डों का पालन करना होगा एवं खण्डों के उल्लंघन पर छूट प्रमाणपत्र निरस्तीकरण योग्य होगा।

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/
संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय मण्डी बोर्ड/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उपाबंध—आठ
(नियम 2(त) एवं 5 देखिए)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /मण्डी समिति ....

मेसर्स .... पता .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क नियम 2012 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक ....(अक्षरी) ....को प्राप्त हुआ है। प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है। भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पद

सील

(8)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

-:: अधिसूचना ::-

रायपुर, दिनांक 02/07/2018

क्र. एफ 73/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 : :- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप धारा (2) के खण्ड (पांच) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

<u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में,-

नियम 2 के खण्ड (ख) के अंतर्गत, उपाबंध--एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"उपाबंध--एक"

अपात्र उद्योगों की सूची

1. राईस मिल
2. पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग
3. मुरमुरा
4. हालर मिल
5. पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना।
6. मिनरल वाटर
7. सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स
8. एल्कोहल ड्रिंक
9. भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम
10. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
11. खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई/रिफाईनरी)
12. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए।

टीप :- अपात्र उद्योगों की उक्त सूची के सरल क्रमांक 1, 2, 3 (केवल मुरमुरा), 4, 10 एवं 11 में अंकित उद्योग क्रमशः राईस मिल, पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग, मुरमुरा, हालर मिल, राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई/रिफाईनरी) को राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों (औद्योगिक नीति 2014-19 का परिशिष्ट-आठ) के लिये पात्र उद्योग माना जायेगा।

उक्त संशोधन, औद्योगिक नीति 2014-2019 की प्रभावी तिथि 01 नवम्बर 2014 से लागू माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 जनवरी 2015 — माघ 11, शक 1936

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-87/2012/11/6.— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-10-2012 द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 घोषित करते हुए, उक्त नीति 1 नवम्बर, 2012 से 31 अक्टूबर, 2017 तक की अवधि के लिए लागू की गई है. राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 में अपात्र उद्योगो की सूची (परिशिष्ट एक) के सरल क्रमांक 3 पर उल्लेखित पोहा को विलोपित किया जाता है.
2. उक्त नीति के अपात्र उद्योगो की सूची के नीचे निम्नलिखित टीप अंकित की जाए, अर्थात्

टीप :- अपात्र उद्योगो की उक्त सूची के सरल क्रमांक 1,2,3 (केवल मुरमुरा), 4, 10 एवं 11 में अंकित उद्योग क्रमश: राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं क्लीनिंग, मुरमुरा, हालर मिल, राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/(रिफाईनरी) को राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों (औद्योगिक नीति 2014-2019 का परिशिष्ट- 8) के लिए पात्र उद्योग माना जायेगा.

3. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 की समाप्ति की तारीख 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाई जाती है.
4. उक्त संशोधन औद्योगिक नीति 2014-2019 की प्रभावी तिथि 01 नवम्बर, 2014 से लागू माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

उपाबंध – एक
(कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का परिशिष्ट–एक)

अपात्र उद्योगों की सूची

1– राईस मिल

2– पैडी परबायलिंग एवं क्लीनिंग

3– पोहा एवं मुरमुरा

4– हालर मिल

5– पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना

6– मिनरल वाटर

7– सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स,

8– एल्कोहल ड्रिंक

9– भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित इकाई

10– राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

11– खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई) (रिफाईनरी)

12– ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीपः–1. अपात्र उद्योगों की उक्त सूची के सरल क. 1,2,3 (केवल मुरमुरा), 4,10 एवं 11 में अंकित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रभावी होने की तिथि 01.11.2014 से राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों (औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–8) के लिये पात्र उद्योग माना जायेगा।

टीपः–2. अपात्र उद्योगों की उपरोक्त सूची के सरल क. 3 में अंकित पोहा को औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रभावी होने की तिथि 01.11.2014 से संपूर्ण राज्य के लिए पात्र उद्योग माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

(10)

अधिसूचना

रायपुर दिनाँक 06/05/2015

क्रमांक/606/डी-15/116/पार्ट-2/2004 /14-2 :: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-87/2012/ग्यारह/(छः), रायपुर, दिनाँक 26 अक्टूबर, 2012, यथा संशोधित अधिसूचना दिनाँक 19 सितम्बर, 2013 तथा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा जारी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के खण्ड 9.4 के अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 2617/डी-15/116/पार्ट-2/14-2, रायपुर, दिनाँक 11 जून, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों से प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए क्रय की गई कृषि उपज पर, कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को, राज्य की मण्डियों से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए कृषि उत्पादों (कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के परिशिष्ट-एक में उल्लिखित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मण्डी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करती है तथा छूट की अधिकतम सीमा, प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% के समतुल्य होगी;

यतः, यह छूट, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2615/डी-15/116/पार्ट-2/2004 /14-2, दिनाँक 11 जून, 2014 द्वारा जारी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 के अध्यधीन, लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6.5.15

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

क्रमशः ....2...